(संशोधन ओदश क्रमांक 22 दिनांक 23.01.2017 के अनुसार संशोधित)

# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

## कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 55वीं बैठक दिनांक 24 दिसंबर 2016 को मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 अशोक शर्मा<br>कुलपति, वमखुविवि,कोटा। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 देबल सिंह के. राय<br>इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. | प्रो0 पी0के0 शर्मा<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 4. | प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर<br>वमखुविवि,कोटा।(निदेशक, संकाय) | सदस्य |
| 5. | प्रो0 कर्ण सिंह<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 6. | प्रो0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा,<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 7. | प्रो0 एच0बी0 नंदवाना<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 8. | प्रो0 दिनेश गुप्ता,<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 9. | प्रो0 जे0 के0शर्मा<br>वमखुविवि,कोटा । | सदस्य |
| 10. | प्रो0 बी0 अरूण कुमार,<br>वमखुविवि,कोटा।(परीक्षा नियंत्रक) | सदस्य |
| 11. | डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा<br>निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र,वमखुविवि,अजमेर। | सदस्य |
| 12. | डा0 दिलीप कुमार शर्मा<br>निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र,वमखुविवि,जोधपुर। | सदस्य |
| 13. | डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य,<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 14. | डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य<br>वमखुविवि, कोटा। | सदस्य |
| 15. | डॉ0 (श्रीमती) क्षमता चौधरी<br>सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 16. | डॉ0 (श्रीमती) मीता शर्मा<br>सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | डॉ0 अनुरोध गोधा<br>सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 18. | डॉ0 श्रीमती अनुराधा दुबे<br>सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 19. | डा0 अकबर अली<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 20. | डॉ0 कपिल गौतम<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 21. | डा0 आलोक चौहान<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 22. | श्री सुशील राजपुरोहित<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 23. | श्री संदीप हुड्डा<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा। | सदस्य |
| 24. | श्री नीरज अरोडा<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा | सदस्य |
| 25. | डा0 नित्यानंद शर्मा<br>वमखुविवि, कोटा। | सदस्य |
| 26. | कुलसचिव<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य सचिव |

माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में पधारे इग्नू नॉमिनी प्रो. देबल सिंह के.राय एवं अन्य उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने के उपरांत कुलपति महोदय द्वारा बैठक विधिवत रूप से प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किये। कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

55/01 विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

55/02 विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 में किए गए निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

सदन ने विद्या परिषद की 54वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन का बिंदुवार अवलोकन कर , की गई अनुपालना को स्वीकृति प्रदान की ।

55/03 गैर प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के साथ मनोविज्ञान विषय का चयन करने पर कार्यक्रम शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 199 दिनांक 09.08.16 की पुष्टि का प्रस्ताव।

सदन द्वारा शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 199 दिनांक 09.08.16 की पुष्टि की गई।

55/04 छात्र संख्या कम होने के कारण शिक्षा विद्यापीठ द्वारा स्थगित किए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 142 दिनांक 30 जून 2016 पुष्टि हेतु।

सदन द्वारा शिक्षा विद्यापीठ द्वारा किए गए आदेश क्रमांक 142 दिनांक 30 जून 2016 की पुष्टि की गई।

55/05 पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में पंजीकृत नवीन छात्रों को प्रश्न पत्र संख्या 05 लेने के सम्बन्ध में मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा में पंजीकृत डिफॉल्टर छात्रों के लिए प्रश्न पत्र संख्या 01 से 04 तक की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा नियमित छात्रों के लिए प्रश्न पत्र संख्या 01 से 03 तथा प्रश्न पत्र संख्या 04 के स्थान पर प्रश्न पत्र संख्या 05 लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

55/06 मनोविज्ञान स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रायोगिक प्रशिक्षण शिविर के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 2644 दिनांक 19.10.16 की पुष्टि का प्रस्ताव।

मनोविज्ञान स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रायोगिक प्रशिक्षण शिविर के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 55/17(6) के अनुसार क्षेत्रीय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2644 दिनांक 19.10.16 के स्थान पर आदेश संख्या 2690 दिनांक 17.11.16 की पुष्टि की गई।

55/07 शिक्षा विद्यापीठ द्वारा संचालित बी0एड0 कार्यक्रम के दैनिक पाठ शिक्षण में मेंटर (प्रेक्टिस टीचिंग पर्यवेक्षक)को देय मानदेय एवं शाला प्रधान को देय मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम में आवश्यक कपोंनेंट (दैनिक पाठ शिक्षण) में मेंटर (प्रेक्टिस टीचिंग पर्यवेक्षक) शाला प्रधान को देय दरों को निम्नानुसार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे वित्त समिति के अनुमोदन बाद लागू किए जाने का निर्णय किया गया :–

| प्रस्तावित मद | वर्तमान मानदेय/प्रति विद्यार्थी | प्रस्तावित मानदेय/प्रति विद्यार्थी |
|---|---|---|
| दैनिक पाठ शिक्षण, केन्द्र को देय मानदेय | प्रत्येक विद्यार्थी के 15 पाठ के पर्यवेक्षण के लिए 40/–रू0 एक मुश्त देय है, जो कि लगभग 2.70/–रू. प्रति पाठ रहता है। | 20/– रू0 प्रति पाठ किया जाना प्रस्तावित है। (उक्त दर स्नातक स्तर की प्रति उत्तर पुस्तिका के मानदेय के समकक्ष है। |
| दैनिक पाठ शिक्षण,शाला प्रधान को देय मानदेय | 15/–रू0 एक मुश्त प्रति विद्यार्थी | 150/–रू0 एक मुश्त प्रति विद्यार्थी |

55/08 बी0एड0 कार्यक्रम में संपर्क शिविर की अवधि कम किए जाने के बाद पूर्व में दिए जा रहे मानदेय की दरों को यथावत रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वित्त समिति की स्वीकृति के बाद लागू किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

55/09 एम0 ए0 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हेतु समिति गठन की अनुशंषाऐं अनुमोदनार्थ।

एम0 ए0 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2016 की अनुशषाओं का अनुमोदन किया गया।

55/10 विश्वविद्यालय में उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए बोर्ड आफ एडमिनिस्ट्रेशन के गठन के आदेश एवं अनुदान हेतु राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव सदन के समक्ष पुष्टि हेतु।

केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव पर डॉ. अनुरोध गोधा ने विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराया । डॉ. रॉय ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि कौशल विकास केन्द्र हेतु अन्य संस्थाओं पर निर्भरता हटाकर विश्वविद्यालय को आत्म निर्भर बनना होगा एवं इस संबंध में सेमीनार, कॉन्फ्रेन्स, इंटेसिव ट्रेनिंग पर भी जोर देना होगा। इसके उपरांत सदन द्वारा उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए अब तक की गई कार्यवाही की पुष्टि करते हुए केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई।

55/11 दसवें दीक्षांत समारोह के लिए ग्रेस पास सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन।

1. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम नवें दीक्षांत समारोह के बाद घोषित किए गए है, उनमें सफल हुए विद्यार्थियों को उपाधि/ डिप्लोमा प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. सदन द्वारा दिसंबर 2015 से जून 2016 तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की परीक्षाओं में सफल एवं शोध कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु दीक्षा कार्यक्रम का वाचन कर उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

55/12 माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देश की पालना में विश्वविद्यालय में "Chancellor's Gold Medal" दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय को सम्बोधित राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 7909–29 दिनांक 28 सितंबर 2016 की पालना में "Chancellor's Gold Medal" दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त मैडल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाना है। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का चयन एवं अन्य

प्रक्रिया निर्धारण के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित किए जाने का निर्णय किया गया:–

1. निदेशक, संकाय — अध्यक्ष
2. समस्त निदेशक, विद्यापीठ — सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य सचिव

55 / 13 विभिन्न कार्यक्रमों की शुल्क संरचना का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

कार्यक्रमों की शुल्क संरचना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि बी.एस.डब्ल्यू एवं एम.एस.डब्ल्यू कार्यक्रमों की शुल्क सरंचना पूर्व में ही अनुमोदित है अतः: इसके अलावा अन्य निम्नलिखित कार्यक्रमों की शुल्क सरंचना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया:–

1. सी.सी.ई.
2. सी.टी.ई.
3. सी.एफ.ई.
4. शिक्षा में स्नातक (बी.एड. द्वितीय वर्ष)

55 / 14 अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को रिविजन करने बाबत्।

अंग्रजी विषय के समन्वयक द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्म का निर्माण हुए लगभग 10 वर्ष का समय हो गया है, इसलिए कार्यकम के पूर्वार्द्ध एवं उतरार्द्ध पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना आवश्यक है, उक्त कार्य के लिए माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् रिविजन कोर्स कमेटी का गठन किया जा चुका है। सदन द्वारा कोर्स रिविजन के लिए अब तक हुई कार्यवाही की पुष्टि करते हुए कोर्स के रिविजन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

55 / 15 एम0सी0ए0 द्वितीय वर्ष में लैटरल एंट्री वाले विद्यार्थियों के कार्यक्रम पूर्ण करने की अवधि के सम्बन्ध में विज्ञान एवं तकनीक विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 190 दिनांक 24.09.16 की पुष्टि की गई।

55 / 16 नवीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव।

नवीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि कार्यसूची विवरण लिखे जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्र प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न) जिसमें लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कि डिप्लोमा एवं सर्टिफिकिट कार्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगणों द्वारा नवीन कार्यक्रमों के प्रारंभ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय किया गया कि

डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक पंचकर्म कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व सम्बन्धित वैधानिक निकाय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पुनः विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाए, शेष निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गईः–

परि0––संलग्न
P. No 8/8

1. पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च मेथॉडोलोजी
1. डिप्लोमा इन योग एवं विज्ञान
2. डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी विज्ञान
3. पी0जी0 डिप्लोमा इन योग विज्ञान

55 / 17(1) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम को संशोधित करवाने हेतु कोर्स रिविजन कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

55 / 17(2) एम0ए0 हिन्दी उतरार्द्व में एक अतिरिक्त नया वैकल्पिक विषय रखने बाबत् प्रस्ताव।

कार्यक्रम की विषय संयोजक डा0 मीता शर्मा द्वारा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय प्रारंभ करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाने के बाद विद्या परिषद द्वारा एम0ए0 हिन्दी उतरार्द्व में एक अतिरिक्त नया वैकल्पिक विषय रखने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

55 / 17(3) वर्ष 2016 में दिनांक 09 एवं 10 जून 2016 तथा दिनांक 28 जून 2010 को आयोजित शोध बोर्ड की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

55 / 17(4) पीएच. डी. एंव एम.फिल. कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल एवं पीएच0डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया के सम्बन्ध में विनियम 2016 को लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय में इसकी पालना हेतु गाइडलाइन तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित का समिति गठन करने का निर्णय किया गयाः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | समस्त निदेशक, समस्त विद्यापीठ | सदस्य |
| 2. | उप निदेशक, शोध | सदस्य सचिव |

55 / 17(5) बी0एड0 कार्यक्रम में शुल्क वापसी के सम्बन्ध में जारी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव। सदन द्वारा शुल्क वापसी के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश क्रमांक 263 दिनांक 22.09.16 की सदन द्वारा पुष्टि की गई।

55 / 17(6) मनोविज्ञान स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रायोगिक प्रशिक्षण शिविर के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2690 दिनांक 17.11.16 पुष्टि हेतु।

प्रस्ताव के अनुसार निर्णय को निर्णय संख्या 55 / 06 के तहत पढा जाए।

55/17(7) समकक्षता समिति की दिनांक 22.12.16 को आयोजित बैठक के निर्णय की पालना में जारी आदेश क्रमांक 2774 दिनांक 23.12.16 संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

सदन द्वारा समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 22.12.16 के निर्णय की पालना में प्रवेश आवेदन पत्रों की जांच के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 2774 दिनांक 23.12.16 की पुष्टि कर अनुमोदित किया गया।

55/17(8) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 07 पाठ्यक्रमों को "स्वंय" पोर्टल पर चलाने बाबत् प्रस्ताव का अनुमोदन।

प्रो0 दिनेश गुप्ता द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन को दी गई विस्तृत जानकारी एवं सदस्यगणों के सुझाव उपरांत निर्णय किया गया कि प्रस्ताव के संदर्भ में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार एवं अन्य बिंदुओं सम्बन्धी विषय पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्थिति स्पष्ट करवा लेवें उसके बाद ही आगे की कार्यवाही संपादित की जाए।

55/17(9) पी.जी.डी.एल.एल. कार्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त सह आचार्य डा0 योगेश शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय को एक लाख एक हजार रूपये की राशी का चैक दिया है, उक्त राशी से प्राप्त होने वाले ब्याज से पी.जी.डी.एल.एल. कार्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को उनके दादाजी एवं दादीजी के नाम से स्वर्ण पदक दिया जाए, साथ ही श्री शर्मा द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि किसी परीक्षा में छात्रा को ही सर्वाधिक अंक प्राप्त होते है तो दोनों पदक छात्रा को ही प्रदान किए जाए।

सदन द्वारा उनके प्रस्ताव की सराहना करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, किंतु सदन में चर्चा उपरांत सदन द्वारा निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

1. प्राप्त राशी से मिलने वाले ब्याज की राशी यदि दो स्वर्ण पदक की लागत के बराबर हो तो ही दो स्वर्ण पदक दिए जाएं अन्यथा एक स्वर्ण पदक ही प्रदान किया जाए।
2. एक ही छात्रा को दो स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने के स्थान पर निर्णय किया गया कि छात्रा हो तो अशर्फी देवी एवं छात्र हो तो पं. लक्ष्मीनारायण जोशी के नाम से स्वर्ण पदक प्रदान किया जाए।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव(विद्या परिषद)

www.ugc.ac.in/deb

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**
DISTANCE EDUCATION BUREAU
35-FEROZE SHAH ROAD
NEW DELHI-110 001

**F.No. 2-10/2016 (DEB-III)** **Dated: Dec., 2016**

**By Speed Post**

16 DEC 2016

**The Registrar**
**Vardhman Mahaveer Open University,**
**Rawatbhata Road**
**Kota-324021**
**Rajasthan**

**Sub:** *Approval of Diploma and Certificate courses-regarding*

Sir,

UGC has been according approval to eligible institutions to offer specific programmes through open and distance learning mode which includes certificate and diploma programmes also.

It has been decided that IGNOU, New Delhi and State Open Universities (SOUs), which has got approval from UGC to offer programmes through distance mode, may be allowed to offer Certificate and Diploma programmes of the duration of one year or less in non-technical, non-medical, non-para medical fields and excluding the programmes which require hands on training.

Therefore, from the academic session 2017-18, IGNOU and SOUs may offer such programmes without seeking the approval from UGC but after the approval of its statutory bodies like Board of Studies, Academic Council etc. and other statutory bodies, if applicable. It is desired that UGC may be informed of launch of such Certificate and Diploma Courses.

Yours faithfully

**(Megha Kaushik)**
*Education Officer*

No: ________ Date: ________
Registrar

8/8